न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 77 / 2018 **दायरा दिनांक : 11.04.2018**

उनवान

1– जगन्नाथ पुत्र सरवन, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– पप्पू लाल पुत्र कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– महावीर प्रसाद पुत्र कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– महेन्द्र कुमार पुत्र कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– नरेश कुमार पुत्र कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– विष्णु प्रसाद पुत्र कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– कांति बाई पुत्री कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

8– छोटी बाई पुत्री कालू, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– मोडू लाल पुत्र रामकरण, जाति बैरवा, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– रामनाथ पुत्र रामकरण, जाति बैरवा, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– गोमदी बाई बेवा रामकरण, जाति बैरवा, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 84/2014 निर्णय दिनांक 31.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में ग्राम सीसवाली में खसरा नम्बर 3841 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 3842 रकबा 0.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 3844 रकबा 0.68 हेक्टर कुल 3 किता की 1.72 हेक्टर आराजी स्थित है । प्रार्थीगण के दादा बिशना बेटा देवा, जाति चमार, निवासी तिसाया के खाते में खसरा नम्बर 3466/1762, 1763, 1765, 1766 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा खाते में दर्ज हो रही है जिसके हाल खसरा नम्बर 3837 रकबा 0.70 हेक्टर इसके पूर्व खसरा नम्बर 2184 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था । खसरा नम्बर 3837 रकबा 0.70 हेक्टर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो वर्तमान में भी जारी है । खसरा नम्बर 3837 रकबा 0.70 हेक्टर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दी गई, वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण के पूर्वजों का ही रहा है । प्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर 2180 व 2179 में अप्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर 2184 से मिले हुए हैं इस तरह प्रार्थीगण साबिक खसरा नम्बर 2184 हाल खसरा नम्बर 3837 को लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं । खसरा गिरदावरी सम्वत

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2011 से 2014 में खसरा नम्बर 1764 पर बिशना चमार तिसाया दर्ज हो रहा है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–2018 मिन खसरा नम्बर 1764 व खसरा नम्बर 2184 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा पर काश्त बिशना चमारदर्ज हो रहा है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–2022 में खसरा नम्बर 2184 जैली बिशना चमार दर्ज हो रहा है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2021–2024 में खसरा नम्बर 2184 पर जैली बिशना चमार दर्ज हो रहा है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2023–2026 में भी प्रार्थीगण की काश्त दर्ज हो रही है । उपरोक्त खसरा गिरदावरी राजस्व रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 3837 रकबा 0.70 हेकटर साबिक खसरा नम्बर 2184 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वाद के तथ्यों को इंकार करते हुए स्वयं का काबिज काश्त होना, सहवन से गलत प्रविष्टि जैली काश्त बिशना दर्ज कर देना प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की । इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.07.2017 को प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुए मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 23.09.2014 पूर्व में जारी स्थगन आदेश को कन्फर्म किया और पत्रावली निर्णीत कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.07.2017 आदेशिका पर दिया गया है और उसमें भी आदेशिका लिखने के बाद ''पूर्व में जारी स्थगन आदेश'' अन्य हस्तलेख में बढ़ाया गया है । इसी से स्पष्ट है कि आदेश मनमर्जी से कानूनी परिस्थितियों के विपरीत जारी किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राज0 टी0 ए0 के तहत आवश्यक तथ्यों की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की है ना ही प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपने आदेश में शामिल किया है, सरसरी तौर पर निर्णीत कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के सभी कानूनी बिन्दुओं को साबित करने में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट असफल रहे हैं फिर भी फोरी तौर पर आदेश पारित कर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2017 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दिनांक 19.02.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.05.2017 को बहस सुनी व आदेश में दिनांक 31.07.2017 को स्थगन आदेश का कन्फर्म कर दिया । तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति के बाबत अपने निर्णय में कुछ भी अंकन नहीं किया है। लिमिटेशन मियाद अधिनियम का धारा 5 का प्रार्थना पत्र लगा रखा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2017 के आदेश की अपील दिनांक 21.03.2018 को पेश की जो मियाद बाहर है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2014 को पारित आदेश में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का प्राइमाफेसी केस माना है, सुविधा का संतुलन बिन्दु प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में माना है और तुलनात्मक क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में माना है । अतः हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूणरर्णीय क्षति इन तीनों बिन्दुओं का आदेश नहीं दिया गया है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों बिन्दुओं का विवेचन अपने निर्णय में किया गया है और दिनांक 31.07.2017 को मूल वाद के निर्णय तक पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2014 को कन्फर्म किया है । इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा